

(राजस्थान १-राजस्व अधिनियम, 1958 के नियम 138 के अन्तर्गत)
राजस्व रेकार्ड में शुद्धि कराने का प्रपत्र

राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग

राजस्व ग्राम <u>राजपुरा</u> पं० सं० <u>कान्त</u>						
क्र. सं.	खाता सं०	खसरा नंबर	रकबा	वर्तमान खाते का विवरण	तहसील - <u>आण</u>	वि० दि०
1.	2	3.	4.	5.	6. <u>शुद्धावित प्रविष्टि</u>	
1	183-	221	0.5815	<p>4) ममना कुल स्व जग्गेजमान 145/1922</p> <p>5) मिनाजी कुल स्व जग्गेजमान 145/1922</p> <p>6) रेणु कुल स्व जग्गेजमान 145/1922</p> <p align="right">(145/1922)</p>	<p>4) ममना कुल स्व जग्गेजमान 145/1922</p> <p>5) मिनाजी कुल स्व जग्गेजमान 145/1922</p> <p>6) रेणु कुल स्व जग्गेजमान 145/1922</p>	<p>पत्राई खाते पर पुत्री काने की मरफाई 145/1922</p>
<p>मुताबिक मिसल/जमाबन्दी सवत <u>2025-28</u> के सांखिक राजस्व रेकार्ड से मिलान किया गया। रिपोर्ट पटवारी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खाते में शुद्धि किया जाना उचित है।</p>						
<p>उपरोक्तानुसार हिस्सा शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 136 राज० मू० राजस्व अधिनियम 1958 के तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर के सम्मन श्रवण योग्य है।</p>			<p>पं० सं० <u>कान्त</u> के सांखिक रेकार्ड से मिलान किया गया। रिपोर्ट पटवारी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खाते में शुद्धि किया जाना उचित है।</p>			
<p>पटवारी (अ.अ.) <u>पटवारी महेश्वर</u> पं० सं० <u>कान्त</u> (राजपुरा)</p>			<p>पं० सं० <u>कान्त</u> के सांखिक रेकार्ड से मिलान किया गया। रिपोर्ट पटवारी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खाते में शुद्धि किया जाना उचित है।</p>			
दिनांक <u>तहसील</u>	<p>पटवारी (अ.अ.) <u>पटवारी महेश्वर</u> पं० सं० <u>कान्त</u> (राजपुरा)</p>		दिनांक <u>पूजा</u>	<p>पं० सं० <u>कान्त</u> के सांखिक रेकार्ड से मिलान किया गया। रिपोर्ट पटवारी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खाते में शुद्धि किया जाना उचित है।</p>		
	<p>पटवारी (अ.अ.) <u>पटवारी महेश्वर</u> पं० सं० <u>कान्त</u> (राजपुरा)</p>		दिनांक <u>पूजा</u>	<p>पं० सं० <u>कान्त</u> के सांखिक रेकार्ड से मिलान किया गया। रिपोर्ट पटवारी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खाते में शुद्धि किया जाना उचित है।</p>		

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
 पं० सं० कान्त (राजपुरा)